फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**भंवरलाल गुर्जर** विपक्षी :–**राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :–**157/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :–**2025/525**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम भमरू गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, आयकर विभाग के पैन कार्ड की फोटोप्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति, भारतीय स्टेट बैंक की पास बुक की फोटोप्रति, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिल की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत वारणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र, सहखातेदार अपने भाई नारायण लाल पिता लालु का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम भंवरलाल गुर्जर पिता लालू होना जाहीर होता है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी भमरू पिता लालू एवं भंवरलाल पिता लालू को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तविक नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी को ग्रामीण परिवेश में लोग भमरू के नाम से पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में भमरू अंकित हो गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरलाल है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से सही किया जाना न्यायहित में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावदा पटवार हल्का वारणी तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 61 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थी का नाम भंमरू पिता लालू के बजाय भंमरू उर्फ भंवरलाल पिता लालू संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested